**भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम**

**व्याख्यान-I**

**भारतीय संविधान का परिचय**

हैलो,

नमस्ते,

विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए नालसार विधि विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है।

मैं फ़ैज़ान मुस्तफ़ा, नालसर विश्‍वविद्यालय का पूर्व कुलपति हूं और राष्‍ट्रीय विधि विश्‍वविद्यालयों के संघ का पूर्व अध्‍यक्ष हूं। हम आज से भारतीय संविधान पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं।

**पहला प्रश्न यह है कि हमें यह कोर्स क्यों करना चाहिए?**

हमें यह कोर्स इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह कोर्स हमें भारत का बेहतर नागरिक बनाएगा और हमारी दिलचस्प और शानदार संवैधानिक यात्रा को समझने में हमारी मदद करेगा। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और सभी कानून संविधान के अधीन हैं और इसके अनुरूप होने चाहिएं।

यह पाठ्यक्रम, हमें यह भी बताएगा कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या प्रतिबंध हैं? पाठ्यक्रम हमें देश की शक्ति संरचना, Power distribution, Power structure को समझने में भी मदद करेगा। सरकार के विभिन्न अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या हैं? संसद क्या कर सकती है? संसद क्या नहीं कर सकती है? कार्यपालिका क्या कर सकती है? कार्यपालिका क्या नहीं कर सकती है? केंद्र और राज्यों के बीच कैसा संबंध है? यह पाठ्यक्रम हमें भारत के संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों और हमारे न्यायालयों के कुछ प्रमुख निर्णयों से परिचित कराने में हमारी मदद करेगा। यह हमें भारतीय संविधान में सुधारों के नए प्रस्तावों के संबंध में चल रहे प्रयत्‍नों की सराहना करने और समझने में भी मदद करेगा।

**पाठ्यक्रम विवरण क्या है?**

दसवीं कक्षा पास करने वाला कोई भी व्यक्ति इस कोर्स में शामिल हो सकता है।

कोर्स की अवधि क्या है?

हम पाठ्यक्रम को 15 व्याख्यानों में समाप्त करने का प्रयास करेंगे और यह कोर्स नि:शुल्‍क है और यदि आप भारत सरकार और नालसार विश्‍वविद्यालय का प्रमाण-पत्र चाहते हैं तो आपको केवल एक 100/- रुपये का छोटा सा शुल्‍क देना होगा। आपको 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यूजीसी ने नालसार विश्‍वविद्यालय को प्रथम श्रेणी विश्वविद्यालय के रूप में वर्गीकृत किया है और नैक् ने ए++ रैंक का उच्चतम स्कोर दिया है। इस पाठ्यक्रम की भाषा हिंदी होगी और आपको जानकारी होगी कि नालसार और भारत सरकार पहले से ही अंग्रेजी में पाठ्यक्रम लांच कर चुकी हैं और यदि आप अंग्रेजी में इस पाठ्यक्रम को करना चाहते हैं तो आप उसको भी ज्‍वाइन कर सकते हैं।

**कोर्स का पाठ्यक्रम क्या है? हम क्या सीखने जा रहे हैं?**

इस पाठ्यक्रम में चर्चा की जाएगी कि संविधान का मसौदा कैसे तैयार किया जाता है। कोई देश संविधान का मसौदा कब तैयार करता है? वह कौन सा विशेष समय होता है जब कोई देश यह निर्णय लेता है कि हमें एक नया संविधान बनाना चाहिए या अपने संविधान का मसौदा तैयार करना चाहिए। संविधान में क्या लिखा जाना चाहिए। संविधान के विभिन्न प्रकार क्या हैं? यह सब हम इस पाठ्यक्रम के पहले व्याख्यान में समझेंगे।

उसके बाद हमारी संविधान सभा में किस तरह की बहस हुई थीं। देश में संवैधानिक विकास का हमारा एक लंबा इतिहास रहा है। हम पर अंग्रेजों का शासन था और राष्ट्रीय आंदोलन के तहत देश की आजादी के लिए एक संघर्ष चल रहा था। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? उन्होंने संविधान का मसौदा कैसे तैयार किया? संविधान पर चर्चा में आगे बढ़-चढ़कर किसने हिस्सा लिया था।

फिर हम संविधान की प्रस्तावना (या Preamble) पर चर्चा करेंगे। हमें अपनी प्रस्तावना पर बहुत गर्व है। क्योंकि प्रस्तावना हमें हमारी आकांक्षाएं बताती है। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना में संशोधन कैसे किया जा सकता है? और संविधान की व्याख्या में प्रस्तावना का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है?

हम इस पाठ्यक्रम में यह भी चर्चा करेंगे कि भारत के नागरिक कौन हैं? भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है?

इसके बाद हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। किसी भी संविधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। हमारे पास कई मौलिक अधिकार हैं।

एक अधिकार - संपत्ति का अधिकार अब 44वें संशोधन से हटाया जा चुका है। हम समानता के अधिकार (Right to equality) पर चर्चा करेंगे, उचित वर्गीकरण (Reasonable Classification) क्या है? संविधान वर्ग विधानों (Class Legislation) को मना क्यों करता है लेकिन वर्गीकरण (Classification) की अनुमति क्यों देता है। हम आरक्षण के पूरे प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे। आरक्षण कब तक जारी रहेगा? हमारी आरक्षण नीति में क्या सुधार किए जा सकते हैं?

लोकतंत्र में हर समय भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं के बारे में चर्चा होती रहती है। हमारे बीच देशद्रोह के बारे में चर्चा होती है: क्या हमें इस प्रावधान को बरक़रार रखना चाहिए या इसे ग़ैर-अपराधी बनाना चाहिए। इसी प्रकार से, ईश निंदा (Blasphemy) का प्रावधान। मानहानि का प्रावधान जिसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें इसे ग़ैर-अपराध (Civil Wrong) बना देना चाहिए लेकिन हाल ही में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने मानहानि के प्रावधान की संवैधानिकता को बरक़रार रखा है।

और फिर सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार पर जाएंगे। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और आधार के बारे में और निजता के मामलों पर चर्चा करेंगे और किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के भीतर निजता के अधिकार को शामिल किया है।

भारतीय मूलतः धार्मिक लोग हैं। और इसलिए, हमारी धर्मनिरपेक्षता यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता से अलग है। हमने धर्मनिरपेक्षता को इसलिए अपनाया क्योंकि हम एक धर्म तटस्थ राष्ट्र बनना चाहते हैं। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता आधुनिकता का मूल है।

**धर्म की स्वतंत्रता क्या है?**

क्या मैं अपने धर्म की प्रत्येक प्रथा को मानने का हकदार हूँ? इसका उत्तर है ‘नहीं’ क्योंकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवार्यता (Essentiality) का सिद्धांत विकसित किया है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ही यह तय करता है कि मेरे धर्म में क्या आवश्यक और क्या ग़ैर-आवश्यक या अनावश्यक विशेषता है। और मैं केवल आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हकदार हूं। स्कूलों में धार्मिक प्रार्थनाओं के मुद्दे रहे हैं; हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 पर नजर डालेंगे। भारतीय संविधान को एक दूरदर्शी समावेशी दस्तावेज माना जाता है जो बहु-संस्कृतिवाद को बढ़ावा देता है और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उन संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अलग भाषा लिपि और संस्कृति है अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी लिपि के संरक्षण और अपनी भाषा के संरक्षण का अधिकार देता है।

हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के सकारात्मक दायित्व (Positive obligation of the State) हैं। मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर नकारात्मक प्रतिबंध (Negative Restriction) हैं। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच क्या संबंध है? मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच क्या संबंध है इस पर भी चर्चा की जाएगी? इसी तरह, हम केंद्रीय कार्यकारिणी, प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति संबंध, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्तियों पर भी चर्चा करेंगे। कई बार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना पड़ता है। हमें न्यायाधीशों की नियुक्ति पर चर्चा करने की आवश्यकता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? यह कॉलेजियम सिस्टम क्या है? न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति क्या है? क्या न्यायिक समीक्षा की शक्ति अलोकतांत्रिक है? यहां तक ​​कि जब संसद ने सर्वसम्मति से एक कानून पारित किया है, तो न्यायाधीश इसे क्यों रद्द करते हैं?

इसके बाद हम संशोधन शक्तियों पर चर्चा करेंगे। कोई एक पीढ़ी ज्ञान के एकाधिकार (Monopoly of Wisdom) का दावा नहीं कर सकती। निश्चित रूप से भारतीय संविधान के निर्माता अपनी पीढ़ी के दूरदर्शी (Farsighted) लोग थे। लेकिन वे अपनी सीमाओं से वाकिफ थे और यही कारण है कि संविधान को एक जीवित दस्तावेज (Living Document) के रूप में बनाए रखने के लिए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को, जब भी आवश्यकता हो, संविधान में उचित संशोधन करने की शक्ति दी है।

हम कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों और संविधान में संशोधन करने की शक्ति के पूरे सवाल पर हमने संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच जिस तरह की खींचतान देखी है उस पर भी चर्चा करेंगे। हम "मूल संरचना या संविधान के मूलभूत ढाँचे के सिद्धांत" (Theory of Basic Structure) पर भी चर्चा करेंगे, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में विकसित किया गया था, हम संविधायी शक्ति (Constituent Power) और साधारण विधायी शक्ति (Legislative Power) के बीच के अंतर पर भी चर्चा करेंगे और इस प्रकार हम आपको हमारे संविधान के बारे में संक्षेप में बताएँगे। यदि आप इन सभी विषयों को जानते हैं तो आप निश्चित रूप से भारत के बेहतर जानकार, जागरूक नागरिक होंगे और नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का अधिक कुशलता से निर्वहन कर पाएँगे।

अब मैं इस पाठ्यक्रम के पहले व्याख्यान पर आता हूँ। इस व्याख्यान में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि संविधान क्या है? संविधान का निर्माण कब होता है? संविधान कितने प्रकार के होते हैं? संविधान में क्या-क्या होना चाहिए आदि।

**अब पहला सवाल - संविधान क्या है ?**

संविधान किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र (Constitutional Democracy) के लिए सबसे पवित्र पुस्तक (Holy Book) है। यदि आप एक संवैधानिक लोकतंत्र (Constitutional Democracy) हैं। कुछ धर्मों का पालन करने वाले लोगों के लिए, उनके संबंधित धर्म की दैवीय पुस्तकें महत्वपूर्ण मान सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के लिए एक ही पवित्र ग्रंथ होगा और इस पवित्र ग्रंथ को उस देश का संविधान कहा जाता है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। आप जानते हैं कि कानून में अज्ञान न्यायशास्त्र गैर निष्पादन का सिद्धांत है, अर्थात कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं है (Ignorance of Law is no defence)। हम सब अपने जीवन में पालने से लेकर कब्र तक, शमशान तक हर जगह कानून से बंधे हैं और हमें इन कानूनों को जानना चाहिए। कानूनों के पदानुक्रम में पिरामिड के शीर्ष पर संविधान है क्योंकि यह देश का सर्वोच्च कानून है। और ऐसा कोई भी कानून मौजूद नहीं रह सकता है जो संविधान के विपरीत हो या उसका उल्लंघन करता हो। यदि राज्य की किसी विधान सभा या केंद्रीय संसद द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है और ऐसा कानून संविधान के प्रावधानों के विरोधाभास में है, तो उस कानून को अदालतों द्वारा असंवैधानिक और अमान्य मानते हुए रद्द कर दिया जाता है।

संविधान भी एक प्रकार का पवित्र समझौता है, एक प्रकार का संस्कारपूर्ण अनुबंध है जो लोगों और उनके राष्ट्र के बीच एक प्रकार का सामाजिक अनुबंध (Social Contract) है। इस अनुबंध की शर्तें क्या हैं और किन शर्तों के तहत लोगों ने राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और आज्ञाकारिता (Obedience) देने के लिए सहमति (या Consent) व्यक्त की है, यह संविधान में बताया गया है? इस प्रकार संविधान में लोगों की उस तरह के समाज और देश की आकांक्षाओं को शामिल किया गया है जिसे वे बनाना चाहते हैं। यह हमें हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि हम उन अधिकारों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। और जब भी अधिकारों का हनन होगा तो हमारे लिए कौन-सा निवारण तंत्र उपलब्ध होगा।

साथ ही यह हमें यह भी बताता है कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य क्या हैं। अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। कर्तव्य के बिना किसी का अधिकार नहीं हो सकता और इसलिए, ये एक साथ जाते हैं। 1976 में भारत के संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। संविधान हमें सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों के बारे में भी बताता है। विधायिका की शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियाँ, न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या हैं? हमारे यहां केन्‍द्र और राज्‍यों के बीच कैसे संबंध हैं यह संविधान बताता है।

**फिर अगला प्रश्न जिसे हमें समझना चाहिए और उसका उत्तर देना चाहिए यह है कि कोई देश संविधान का मसौदा कैसे तैयार करता है।** एक देश संवैधानिकता प्राप्त करने के लिए संविधान का मसौदा तैयार करता है। यह संविधानवाद (Constitutionalism) क्या है? संविधानवाद सीमित सरकार का विचार है (Limited government का idea है)। **संविधानवाद उसी पुराने विचार को आगे बढ़ाता है और बढ़ावा देता है जिसे प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र राज धर्म कहता रहा है।** राजा का कर्तव्य क्या है? राज्य का कर्तव्य क्या है? राज्य को अपना आचरण कैसे करना है'? संविधान में यही लिखा है। इसलिए, देश एक दस्तावेज़ बनाना चाहता है जिसमें वह राज धर्म बताता है, जिसमें वह राज्य की शक्तियों की सीमाएँ बताता है। और इस प्रकार एक देश संविधान का मसौदा तैयार करता है क्योंकि वह चाहता है कि सरकार का कोई भी अंग उन संवैधानिक सीमाओं को पार न करे जो एक संविधान ने उस अंग के लिए तैयार की हैं। यानी संविधान हर एक की लक्ष्‍मण रेखा को बताता है संविधान लोगों के अधिकारों को भी मान्यता देता है। अधिकारों के न्यायशास्त्र में, हम यह नहीं कहते हैं कि संविधान अधिकार प्रदान करता है क्योंकि विचार यह है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ प्राकृतिक (Natural), अविच्छेद (Indivisible), अविभाज्य (Inalienable) अधिकारों के साथ पैदा होता है। इसलिए संविधान उन अधिकारों को मान्यता देता है। confer करता है और Recognise करता है।

**वह कौन सा विशेष समय होता है जब किसी देश को लगता है कि उसे अब एक संविधान का मसौदा तैयार करना चाहिए?**

इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में यदि दूं तो शब्‍द है 'ब्रेक'। अतीत से रिश्ता टूटता है ( Break from the past)। एक नये युग का आग़ाज़ होता है। फिर जब एक देश जो एक नई शुरुआत कर रहा है वह एक नया एजेंडा सेट कर रहा है और इस नए एजेंडे को संविधान में शामिल किया जाता है। हम कब कह सकते हैं कि जब एक देश उस मुकाम पर पहुँच जाए जिसे अतीत से विराम कहा जा सकता है तब वह देश एक संविधान बनाता है। मैं चार परिस्थितियों के बारे में सोच सकता हूँ। एक यह कि वो तीसरी दुनिया का देश है जैसा कि अधिकांश देश रहे हैं और उन्‍होंने औपनिवेशिक (Colonial) शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त की है। इसलिए, उन्हें स्वतंत्रता मिली, उन्‍होंने संविधान बनाया क्‍योंकि स्‍वतंत्रता Break from the past थी। उदाहरण के लिए हमें 1947 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और इसलिए हमने 1946 में ही संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसका विवरण हम अगले व्याख्यान में देंगे या दूसरी Situation वह है, जब कोई क्रांति (Revolution) होती है, जैसेकि बोल्शेविक क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति, जब भी कोई क्रांति होती है, तो क्रांति के बाद वह देश एक नयी शुरूआत करता है, एक नया संविधान बनाता है। इसी तरह जब किसी देश का बँटवारा (Partition) होता है तो यह दोनों देशों के लिए नई शुरुआत होती है। वह जो देश होंगे वह एक नया संविधान बनायेंगे और चौथी Situation यह है कि जब दो देश एक साथ आ जाएं, आपस में विलय कर लें (merge हो जाएं) तो उनके लिए भी एक नयी शुरूआत होगी और वह एक नया संविधान बनाएंगे।

**संविधान के विभिन्न प्रकार क्या हैं?**

इससे पहले कि हम भारतीय संविधान पर जाएं, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हमें यह सैद्धांतिक ढांचा मिल जाए: संविधान विभिन्न प्रकार के होते हैं। आपके पास एक लिखित (Written) संविधान हो सकता है; आपके पास एक अलिखित (Unwritten) संविधान भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, कहा जाता है कि इंग्लैंड में एक अलिखित (Unwritten) संविधान है क्योंकि इंग्लैंड में कोई एक दस्तावेज ऐसा नहीं है जिसे ग्रेट ब्रिटेन का संविधान कहा जाए। लिखित संविधान का श्रेष्ठ उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधान का है। आज अधिकांश देशों में लिखित संविधान है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस संविधान में नहीं लिखी गई हैं।

इसी तरह, हम संविधानों को उनके केंद्र-राज्य संबंधों के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि केंद्र अधिक शक्तिशाली है, तो इसे एकात्मक संविधान (Unitary Constitution) कहा जाता है, यदि केंद्र और राज्य एक-दूसरे के साथ समन्वय करते हैं और उनके बीच शक्तियों का वितरण होता है और प्रत्येक अपने आवंटित क्षेत्र में कार्य करता है तो इसे संघीय संविधान (Federal Constitution) कहा जाता है। संविधानों को उनके सरकारी ढांचे के प्रकार के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। यदि आपके पास एक राष्ट्रपति है जिसके पास सभी शक्तियाँ हैं, तो इसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली (Presidential form of Government) कहा जाता है जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है या आपके पास संसदीय लोकतंत्र जैसा कि हमारे पास भारत में है और ग्रेट ब्रिटेन में है तो आप इसे Parliamentary Democracy कहते हैं और कई अन्य देशों में भी है।

इसी प्रकार, संविधानों का वर्गीकरण उनके संशोधन प्रक्रिया के प्रकार के आधार पर भी किया जाता है। यदि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन है, तो इसे कठोर संविधान (Rigid Constitution) कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में एक बहुत ही कठिन, बोझिल संशोधन प्रक्रिया है। यदि संशोधन प्रक्रिया आसान है जैसा कि न्यूजीलैंड में है तो ऐसे संविधान को लचीला संविधान (Flexible Constitution) कहते हैं। न्यूजीलैंड के संविधान में एक सामान्य कानून की तरह संशोधन किया जा सकता है। इसलिए, यह दुनिया का सबसे लचीला संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान में दोनों का मिश्रण है। हम लचीले होने के साथ-साथ कठोर भी हैं। हमारे संविधान के कुछ प्रावधानों को एक सामान्य कानून की तरह संशोधित किया जा सकता है लेकिन अन्य प्रावधानों के लिए न केवल संसद को उन संशोधनों को 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, बल्कि आधे राज्यों द्वारा रज़ामंदी या अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता भी होती है।

संविधान में कितना लिखा जाना चाहिए? मेरे विचार से संविधान को बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। उन्हें संक्षिप्त होना चाहिए। और इसलिए, मैं कहूंगा कि संविधान में न्यूनतम (Minimum) लिखा जाना चाहिए। और इस पैमाने/पैरामीटर पर दुनिया का सबसे अच्छा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। दूसरी ओर, हमने अपने संविधान में लगभग सब कुछ कहने की कोशिश की है। और इसीलिए भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि आप हमारे मूल संविधान को देखें, तो हमारे पास 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। इसके बाद हम कई संशोधन लाए, हम उस पर चर्चा करेंगे जब हम भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया तक पहुंचेंगे।

**हमने आज क्या सीखा?**

हमने सीखा कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, संविधान लोगों और राज्य के बीच एक समझौते का प्रतीक है, संविधान राज्य की शक्ति को सीमित करता है, यह हमें हमारे अधिकारों के बारे में बताता है, यह हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है, यह हमें राज्य और संविधान की शक्ति संरचना बताता है। संविधान का मसौदा तब तैयार किया जाता है जब अतीत से ब्रेक (Break) हो या नाता टूट जाए और एक नया युग शुरू हो। आदर्श रूप से आपका संविधान संक्षिप्त होना चाहिए।

**अब अगले व्याख्यान में,** हम भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक (British Colonialism) पर चर्चा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने संवैधानिक सुधारों के लिए कैसे लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश हमारी संविधान सभा के गठन के लिए कैसे सहमत हुए, भारतीय संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने में क्या प्रक्रिया अपनाई, हमने संविधान के लिए किस तरह के विकल्प चुने हैं, मुझे उम्मीद है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान होगा।

आपके धैर्य के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जल्द ही आपसे अगले व्याख्यान में मिलते हैं।

 धन्यवाद।